6/2/17

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अप्राप्त
फिनल दिनांक 6/2/17 को पेश हो

नायब तहसीलदार
मेड़ता

6/2/17

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अप्राप्त
फिनल दिनांक 20/2/17 को पेश हो

नायब तहसीलदार
मेड़ता

20/2/17

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का से रिपोर्ट दिनांक 17/2/17 को प्राप्त।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बागनी ने अ.सु.नि. प्रशासन से तत्संबंधित एक रिपोर्ट दिनांक 1.9.16 को की कि अप्रार्थी जगराम पुत्र बख्शाराम जाति कालबी निवासी मोलेलाव ने मौजा मोलेलाव के खसरा 192 रकबा 0.64 है. किस्म डे.यू. भूमि में संवत 2073 खरीफ में पानी का टांका व कच्चा बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ है।

इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध LAC 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया जिसे स्वयं अप्रार्थी को विधिवत तामिल कराया गया। इस नोटिस के पश्चात पश्चात में गैर हाजिर ने दिनांक 26/9/16 को पेश किया जिसमें उसने कब्जा किस्म खसरा नं. 192 के रकबा 0.64 है. पर उसका कब्जा व काश्त होना बताया है। तथा उसके मरण पोषक को एक माह जरिया है।

इस पर पटवारी हल्का से तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया जो कि दिनांक 17/2/17 को प्राप्त हुई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अप्रार्थी ने हाल ही संवत 2073 खरीफ में खसरा नं. 192 रकबा 0.64 है. पर अतिक्रमण किया है तथा उसका यह दावा कि वह भूमि से काबिज है गलत है। तथा सही स्थिति में अतिक्रमण को खाली कराने से बेदखल किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी का मुतलाजा आराजी पर अवैध कब्जा है अतः अप्रार्थी को अतिक्रमण छोड़ित किया जाता है तथा उसे उक्त अतिक्रमित खाते से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है तथा डेरा फल को लगाया पट 20 x 0.64 = 12.8 को 50 रुपये, 640/- रु. चालीस रुपये का जुर्माना कायम किया जाता है। डेरा फल को तिलक मय ते बेदखल करके वसूली एवं भोग कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का, बागनी हेतु व TRA को लिखा जावे। पत्रावली कार्यवाही लगा कर रुपये होने पर नकल एक लेने से निपटे तरीके पश्चात पुनः प्रस्तुत हो।

नायब तहसीलदार
मेड़ता

नं. 2016-17 रुपये 640/-
मे. 4 के पृष्ठ सं. 16 पर दर्ज की
तहसील राजस्व मेड़ता